अपील सूचना अधिकार संख्या 22/2022(GCMS 2022/68) (आरटीआई नं. 212828545964248) श्री राधेश्याम गोयल, निवासी 23 के ब्लॉक, श्याम कुटीर, नजदीक टण्डन लेबोरेट्री, श्रीगंगानगर (पो.ऑर्डर नं. 52 एफ/553438) बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं अति.जिला कलक्टर(प्र.), श्रीगंगानगर

17.05.2023

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्र.),श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 22.10.2022 से चार बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 22.10.2022 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर से निम्न चार बिन्दुओं की सूचना चाही थी:

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. प्रार्थी के प्रार्थना पत्र दिनांक 04.12.20 की प्रमाणित प्रति जो प्रभारी अधिकारी पंजीयन व अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर को सम्बन्धित है व 20/– रूपये के आई.पी.ओ. क्रमांक 52 एफ 312051 व 52 एफ 312052 संलग्न किये है।
2. ये दोनों पोस्टल ऑर्डर की राशि जिस दिवस जिस पोस्ट ऑफिस में जमा करवायी, उसकी सूचना व प्रमाणित प्रति।
3. प्रार्थी के प्रार्थना पत्र दिनांक [illegible].20 की प्रमाणित प्रति जो प्रभारी अधिकारी पंजीयन व अति. जिला कलक्टर श्रीगंगानगर को सम्बोधित है व 20/– रूपये के आई.पी.ओ. क्रमांक 52 एफ 312051 व 52 एफ 312052 संलग्न किये है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.06.01 13:03:24 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

4. ये दोनों पोस्टल ऑर्डर्स की प्रति जिस दिवस जिस पोस्ट ऑफिस में जमा करवायी, उसकी सूचना व प्रमाणित प्रति।

प्रभारी अधिकारी पंजीयन एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 615 दिनांक 21.04.2022 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है:

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन हे कि श्री राधेश्याम गोयल, निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर ने सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत आवेदन दिनांक 18.10.2021 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जो कार्यालय लोक सूचना अधिकारी के पत्रांक – आर.टी. आई./124/2021/1159 दिनांक 25.10.2021 से इस कार्यालय को प्राप्त हुआ था(प्रदर्श–1) जिसके प्रत्युत्तर में इस कार्यालय के पत्रांक 2558 दिनांक 22.11.21 से बिन्दु सं. 1 एवं 3 की सूचना इस कार्यालय से प्राप्त करने से पूर्व पत्र में वांछित राशि जमा करवाने हेतु एवं बिन्दु संख्या 2 व 4 की सूचना, लेखा शाखा से सम्बन्धित होने के कारण,इस कार्यालय के पत्रांक 2559/22.11.21 से प्रभारी अधिकारी, लेखा शाखा को प्रार्थी को सूचना प्रदान करने हेतु भिजवाया गया था (प्रदर्श–2) तत्पश्चात लेखा शाखा के पत्रांक 2102/18.12.21 से बिन्दु संख्या 2 एवं 4 की सूचना इस कार्यालय को प्राप्त होने पर (प्रदर्श–3), इस कार्यालय के पत्रांक 2621/14.12.21 से जरिये डाक प्रार्थी को उपलब्ध करा दिया गया था एवं साथ ही प्रार्थी को इस कार्यालय द्वारा प्रदत्त बिन्दु संख्या 1 व 3 सूचना प्रदान करने से पूर्व निर्धारित 2/– रूपये प्रति पृष्ठ शुल्क से कुल पृष्ठ 02 के हिसाब से 04/– रूपये शुल्क जमा करवाने

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.06.01 13:03:24 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

हेतु पत्रांक एडीएम(ए)/आरटीआई/2558 दिनांक 22.11.21 से लिखा गया था। परन्तु प्रार्थी द्वारा अपेक्षित शुल्क इस कार्यालय में जमा नहीं करवाये जाने के कारण,सूचना प्रदान नहीं की जा सकी। अतः प्रथम अपील अब पोषणीय नहीं होने से खारिज योग्य है।

संलग्न : उक्तानुसार।

भवदीय
-sd-
(भवानी सिंह पंवार)
प्रभारी अधिकारी पंजीयन
एवं अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), श्रीगंगानगर

प्रभारी अधिकारी पंजीयन एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 615 दिनांक 21.04.2022 से अपील का जवाब उक्तानुसार दिया है और **लोक सूचना अधिकारी एवं जिला पंजीयक श्रीगंगानगर ने बिन्दु संख्या 2 व 4 की सूचना लेखा शाखा से प्राप्त कर, अपने पत्रांक 2621 दिनांक 14.12.2021 से अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई जा चुकी है और बिन्दु संख्या 01 एवं 03 की सूचना हेतु अपने पत्रांक 2558 दिनांक 22.11.2021 से अपीलार्थी 2/—प्रति पृष्ठ अनुसार राशि जमा करने हेतु लिखा गया है। इसलिए अपीलार्थी राजकोष में राशि जमा कर वांछित सूचना प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को जो उत्तर दिया गया है, वह सही है। जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। इसलिए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने योग्य है।**

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति **प्रभारी अधिकारी पंजीयन एवं** अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे तथा अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब नकल दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 17.05.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सौरभ स्वामी)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.06.01 13:03:24 IST
Reason: SelfAttested